भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6265

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत

पुडुचेरी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति

6265. **श्री वी. वैथिलिंगमः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुडुचेरी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विशेषकर वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और लघु-स्तरीय विनिर्माण जैसे सेक्टरों, की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पुडुचेरी में एमएसएमई को प्रदान की गई ऋण सुविधा, क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं और निर्यात प्रोत्साहन सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एमएसएमई प्रतस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने, रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और संघ राज्यक्षेत्र, पुडुचेरी के उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित लक्षित नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और लघु विनिर्माण इकाइयों सहित एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी सहित देश भर में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। संगत स्कीमों /कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं; तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने और ऋण सुविधा सहायता प्रदान करने के लिए रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम - परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण (एमएसई-गिफ्ट) स्कीम तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम स्कीम (एमएसई-स्पाइस)। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक संपदा के निर्माण और उन्नयन के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश की सुविधा प्रदान करती है और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम एमएसएमई क्षेत्र की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करती है।

एमएसई गिफ्ट स्कीम में एमएसई को संस्वीकृत 2 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सीमा तक, 5 वर्ष की अवधि के लिए 2% प्रति वर्ष की ब्याज छूट का प्रावधान है। इसी प्रकार, एमएसई-स्पाइस स्कीम में संयंत्र और मशीनरी पर 25% की पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 12.5 लाख रुपये है। इसके अलावा, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन घटक में जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए 3 लाख रुपए तक के प्रौद्योगिकी उन्नयन का प्रावधान है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के निर्माण के लिए, परियोजना लागत का 80% तक अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये है, जबकि अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं के लिए यह 70% तक है जिसकी अधिकतम सीमा 15 करोड़ रूपये है। इस मंत्रालय ने एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत मेट्टुपालयम औद्योगिक एस्टेट, पुडुचेरी में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए भी एक परियोजना को मंजूरी दी है। पुडुचेरी में जेड प्रमाणित एमएसएमई इकाइयों का विवरण इस प्रकार है:

जेड पंजीकरण	जेड कांस्य प्रमाणन	ज़ेड रजत प्रमाणन	ज़ेड स्वर्ण प्रमाणन
541	363	24	27

उपरोक्त के अलावा, वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस) नामक दो स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों के अंतर्गत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, निर्माता कंपनियों के गठन, कारीगरों को सीधे लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता, डिजिटीकरण, ब्रांडिंग और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन आदि के माध्यम से कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी सहित पूरे देश में परंपरागत शिल्प और कारीगरों को लाभ होता है।
